भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3056

जिसका उत्तर 12 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

अटल वितरण प्रणाली सुधार योजना (आदित्य)

3056. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री गजानन कीर्तिकरः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राज्यों को अपने उपभोक्ताओं को आपूर्तित बिजली का एक तिहाई भाग संवितरण हानियों के रूप में वहन करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे न केवल उपभोक्ता बल्कि विद्युत उत्पादक भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार भारत के औसत सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों (एटीएंडसी) को 21.4 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत पर लाने के लिए अटल वितरण प्रणाली सुधार योजना (आदित्य) शुरू करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त योजना के लिए स्वीकृत तथा जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) वितरण हानियों को न्यूनतम करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : तीन राज्यों और चार संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर (जिनसे आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं), राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए वर्ष 2018-19 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, राज्य आपूर्ति की गई विद्युत के केवल 84.27 प्रतिशत के लिए ही बिलिंग कर सके हैं। बिलिंग नहीं किए गए यूनिटों के रूप में हानियां 15.73 प्रतिशत हैं। इन हानियों के कारणों में तकनीकी हानियों; दोषयुक्त मीटर; गलत बिलिंग; तथा चोरी इत्यादि शामिल हैं।

(ग) : विनियामकों द्वारा स्वीकार्य सीमा से अधिक वितरण यूटिलिटियों की उच्च सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों से डिस्कॉमों की वित्तीय हानियां होती हैं। इससे सम्पूर्ण विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिसमें उत्पादन कंपनियां भी शामिल हैं।

(घ) : वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में सरकार ने संसद सदन को सूचित किया है कि डिस्कॉमों को सुधारने के लिए उपाय करेगी, और विद्युत मंत्रालय स्मार्ट मीटरिंग को प्रोत्साहित करने की भी इच्छा रखता है।

(ङ) : उक्त के संबंध में योजना अभी तक अनुमोदित नहीं की गई है, इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

(च) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है और विद्युत का वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह वितरण लाइसेंसधारियों का दायित्व है कि वे अपनी प्रणाली में एटीएंडसी हानियों में कमी लाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। तथापि, भारत सरकार राज्यों को अपनी वितरण अवसंरचना और प्रणालियों में सुधार करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू करके इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु राज्यों/यूटिलिटियों को सहायता प्रदान कर रही है, जिसमें एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) शामिल हैं, ताकि एटीएंडसी हानियों को कम किया जा सके। आईपीडीएस/डीडीयूजीजेवाई योजनाओं के अंतर्गत, उप-पारेषण और वितरण अवसंरचना के सृजन/संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग, भूमिगत (यूजी) केबिलों; एवं एरियल बंच (एबी) केबिलों; तथा वितरण अवसंरचना की आईटी समर्थता जैसी तकनीकी हानियों में कमी लाने वाले उपायों की परिकल्पना की गई है।

****